न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 32/2024 बउनवानी रामजीलाल बनाम लो.सू.अधि.एवं तहसीलदार खण्डार
पुत्र श्री भवंर लाल मीना निवासी कंचन भवन शास्त्री नगर खेरदा GCMS No-2024/75

तारीख हुकम — हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

31.7.2024

पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही। लोक सूचना एवं अति0 जिला कलेक्टर (प्र0अ0) भू0अभिलेख सवाईमाधोपुर की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 3.5.2024 को लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलेक्टर (प्र0अ0) भू0अभिलेख सवाईमाधोपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित किया जिसको लोक सूचना अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 6 (3) के तहत तहसीलदार खण्डार का अन्तरित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः–

1. दिनांक 16.3.2018 को दूरभाष की पालना में जिला कार्यालय सवाईमाधोपुर हाजा में डीएलआरएमएपी सीटो पर पुरानी 10 साला व 12 साला सीटो के अनुरूप तरमीम कार्य किया था जिसका प्रमाण पत्र उपलब्ध करावे।
2. सम्पूर्ण तहसील खण्डार की डीएलआरएमएपी सीटो पर 10 साला व 12 साला सीटो के अनुरूप तरमीम कार्य पूर्ण दिनांक की प्रमाणित प्रति।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार खण्डार द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार खण्डार को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित होकर चाही गयी सूचनाऐं उपलब्ध नही करवाने बाबत निवेदन किया यह भी निवेदन किया कि दैनिक डायरी मेरे द्वारा तहसील कार्यालय मे जमा करवायी जा चुकी है किन्तु मुझे परेशान करने की गरज से दैनिक डायरी की नकल नही दी जा रही है। दौराने सुनवायी उपस्थित पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार खण्डार की ओर से बतोर जवाब के प्रस्तुत पत्र क्रमांकः भू.अ./सूकाअ/2024/1128 दिनांक 7.6.2024 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रेषित प्रार्थना पत्र दिनांक 3.5.2024 मे चाही गयी सूचना के सबंध में तहसीलदार खण्डार के पत्रांक 1128 से अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 5.3.2024 के बिन्दु संख्या 1 व 2 मे चाही गयी सूचनाऐ प्रार्थी को दैनिक डायरी के माध्यम से उपलब्ध करवायी जा सकती है। ऐसी स्थिति मे तहसीलदार खण्डार को निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्ट चूंकि स्वंय पटवारी रहा है इसलिए उसको उसकी दैनिक डायरी की प्रमाणित प्रति 7 दिवस मे उपलब्ध करवायी जावे। उक्त निर्देश के साथ अपील अपीलान्ट का निस्तारण किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील [illegible] अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Khushaal Yadav
Date: 2024.09.24 13:22:09 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ0खुशाल [illegible])
जिला कले[illegible]
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner